वाले खण्ड/वृत्त में किसी भी पद पर कार्यरत अपने निकट संबंधियों का नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(10). राज्य बार काउन्सिल में पंजीकृत किसी भी निविदा दाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(11). आपराधिक रिकार्ड वाले निविदादाता को निविदा प्रकिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

(12). ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदायें डालने की अन्तिम तिथि 26.05.2026 समय 12:00 बजे तक होगी एवं टेक्निकल बिड्स दिनांक 26.05.2026 अपरान्ह 12.30 बजे कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, जौनपुर में खोला जायेगा।

(13). शासनादेश संख्या–692/23–07–2024 लोक निर्माण अनुभाग–7 लखनऊ दिनांक 09 अगस्त, 2024 के अनुसार दरें 10 प्रतिशत कम होने पर उस पर कोई अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी नहीं ली जायेगी एवं यदि न्यूनतम निविदादाता की निविदित लागत स्वीकृत (बी.ओ.क्यू.) लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम है तो 10 प्रतिशत से अधिक कमी के सापेक्ष 1.00 प्रतिशत प्रति प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्योरिटी ली जाएगी, जिसे ठेकेदार से अनुबन्ध गठन के समय जमा कराया जायेगा।

(14). प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण की प्रति संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

(15). शासनादेश संख्या–8/2017/836/23–7–17–176(सा0)/06 दिनांक–08.06.2017 के क्रम में अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16). कार्यालय प्रमुख अभियन्ता,लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–4869/4एम0–एल0सी0/2020 दिनांक 27.08.2020 के अनुपालन में प्रहरी साफ्टवेयर पर समस्त सूचना व अभिलेख अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता द्वारा तकनीकी शीट (ई01) डाउनलोड की जायेगी, जिसकी कापी स्कैन कर ई–टेण्डर पोर्टल (http://e-tender.up.nic.in) पर अपलोड करनी होगी।

(17) कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि से 02 वर्षो तक डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड होगा।

(राजेश राव)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
जौनपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0,
जौनपुर

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना (द्वितीय आमंत्रण)

पत्रांकः– 1598/4ए   दिनांक–18 /05/2026

महामहिम राज्यपाल महोदय उ0प्र0 की ओर से अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, जौनपुर द्वारा लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 में ''ए'', ''बी,'' ''सी'' और ''डी'' श्रेणी कें पंजीकृत एवं अर्ह ठेकेदारों से प्रतिशत दर के आधार पर आन–लाइन ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं0	जनपद	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रु0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रु0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य सम्पादित कराने वाले अधिशासी अभियन्ता का पता	अधीक्षण अभियन्ता का पता	मुख्य अभियन्ता का पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वित्तीय वर्ष 2026–27 में खण्ड के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विधानसभा एवं विकास खण्डों में ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गो के पैच मरम्मत का कार्य									
1	जौनपुर	विकास खण्ड धर्मापुर के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामीण मार्गो पर पैच मरम्मत का कार्य।	12.00	1.20	944.00	6माह	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, जौनपुर	अधीक्षण अभियन्ता, जौनपुर–गाजीपुर वृत्त, लो0नि0वि0, जौनपुर	मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लो0नि0वि0, वाराणसी

निविदा शर्ते :–

(1). निविदा सूचना, बिड डाक्यूमेन्ट (टी–1) एवं बी0ओ0क्यू0 आन–लाइन दिनांक 20.05.2026 पूर्वान्ह 12:00 से 26.05.2026 पूर्वान्ह 12:00 बजे तक ई–टेण्डरिंग पोर्टल http://e-tender.up.nic.in पर उपलब्ध है, जो आन–लाइन http://etender. up.nic.in पर ही सबमिट किया जायेगा।

(2). निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है, जो निशुल्क है। निविदायें आन लाइन डालने हेतु निविदादाता को किसी भी डिजिटेल सिगनेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथारिटी द्वारा जारी डिजिटेल सिगनेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।

(3) निविदा के साथ रु0 944.00 (रु0 500.00 स्टेशनरी शुल्क एवं 300.00 निविदा प्रपत्र शुल्क+ रु0 18% GST) शासनादेश संख्या– 63/78–2–2018–42/आई0टी0/2017/टी0सी0 दिनांक 07.02.2018 के कम में सिर्फ इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर भुगतान की जायेगी। निविदा मूल्य आनलाइन भुगतान न किए जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) निविदा की धरोहर धनराशि शारानादेश संख्या– 63/78–2–2018–42/आई0टी0/2017/टी0सी0 दिनांक 07.02.2018 के कम में सिर्फ इण्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से आनलाइन ई–टेण्डर पोर्टल पर भुगतान की जायेगी। निविदा की धरोहर धनराशि आनलाइन भुगतान न किए जाने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(5). निविदा की समस्त प्रमाण पत्रों टी–1 (टी–4, टी–5 व टी–6), पंजीकरण प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, विगत पॉच वर्षो की बैलेन्स शीट, वर्तमान चालू कार्यो की सूची, टी0एण्ड पी0 का विवरण निर्धारित प्रपत्र, निविदा क्वालिफिकेशन से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों इत्यादि की स्कैन्ड (Scanned) कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(6). निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। एक बार प्रस्तुत की गयी बिड्स किसी भी दशा में निविदादाता द्वारा वापस नहीं ली जा सकती।

(7). न्यूनतम निविदादाता की अनुबन्ध गठन हेतु धरोहर धनराशि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–2, लो0नि0वि0, जौनपुर के पक्ष में बन्धक कराकर देय होगा।

(8). राज्य/केन्द्र सरकार के अभियन्त्रण विभाग में अभियन्त्रण या प्रशासनिक कर्तव्य करते हुए सेवा निवृत्त हुए किसी राजपत्रित अभियन्ता या राजपत्रित अधिकारी को सेवा निवृत्ति के दो वर्ष तक बिना सरकारी अनुमति के ठेकेदार के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति पाया जाता है जिसने उपरोक्त के अनुसार निविदा डालने के पूर्व या ठेकेदार के अधीन कार्य करने के पूर्व सरकारी अनुमति नहीं प्राप्त की है तो ठेका निरस्त किया जा सकता है।

(9). किसी भी निविदा दाता को ऐसे खण्ड अथवा वृत्त जिनके द्वारा ठेंका दिया जा रहा हो या ठेके पर कार्य कराया जा रहा हो, में निर्माण कार्य हेतु निविदा डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां उसका या उसके पति/पत्नी का निकट संबंधी (निकट संबंधी से तात्पर्य प्रथम रक्त सम्बन्धी या उनके पति/पत्नी से है) खण्डीय लेखाकार/लेखाधिकारी अथवा अधीक्षण अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता (दोनों सम्मिलित करते हुए) के मध्य किसी भी अधिकारी के पद पर कार्यरत/नियुक्त हो। निविदा दाताओं को ठेका देने वाले तथा कार्य की देख रेख करने

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJESH RAO
Date: 2026.05.20 15:07:29 IST
Location: Uttar Pradesh-UP